



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226190  
CG-DL-E-27032021-226190

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 161]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सा.का.नि. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा चीनी विकास निधि नियम, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,-

(i). खण्ड (चच) में, "सहकारी" शब्द के स्थान पर "निजी अथवा सार्वजनिक या सहकारी" रखा जाएगा;

(ii). खण्ड (जज) के लिए, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :-

'(जज) "संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम" से निजी अथवा सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र में स्थित कोई चीनी उपक्रम अभिप्रेत है, जिसके संबंध में पुनर्स्थापन समिति द्वारा पुनर्स्थापना की कोई स्कीम संस्तुत की गई है"।

3. उक्त नियमों में नियम 21(i) के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:

“(1) संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम, संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण अथवा पुनर्स्थापन या एल्कोहल अथवा शीरे या गन्ने के रस से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथेनोल के उत्पादन अथवा खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए ऋण हेतु पात्र होगा:

परन्तु पुनर्स्थापन समिति द्वारा संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के लिए पुनर्स्थापन स्कीम में इस निधि से किसी ऋण की संस्तुति की गई हो:

परन्तु यह और कि संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण अथवा पुनर्स्थापन या एल्कोहल अथवा शीरे या गन्ने के रस से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथेनोल के उत्पादन अथवा खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना की ऐसी कोई स्कीम अथवा परियोजना किसी वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा अपनी संगत स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित हो:

परन्तु यह भी कि कोई चीनी उपक्रम इस नियम के अधीन ऋण हेतु पात्र नहीं होगा, यदि नियम 16 अथवा 22 या 23 के अधीन एक से अधिक ऋण का पूर्ण पुनर्भुगतान शेष रहता है।

(ii) उप-नियम (2) में प्रथम परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात:-

“परन्तु पुनर्स्थापन समिति द्वारा संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के लिए पुनर्स्थापन स्कीम में निधि से ऋण की संस्तुति की गई हो”।

4. उक्त नियम में, नियम 22 के, उप-नियम (1क) में खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

“(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी अथवा ऐसी प्रतिभूति, जिसका निर्णय समिति द्वारा किया जाए, दी जाएगी।”

5. उक्त नियम में नियम 22क के उप-नियम (1क) में खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी अथवा ऐसी प्रतिभूति, जिसका निर्णय समिति द्वारा किया गया है, प्रस्तुत की जाएगी।”

6. उक्त नियम में नियम 23 के उप-नियम (1क) में खंड (iv) के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी अथवा ऐसी प्रतिभूति, जिसका निर्णय समिति द्वारा किया जाए, दी जाएगी।”

7. उक्त नियम में नियम 25 में उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

“(7) किसी ऋण अथवा उसकी किस्त के पुनर्भुगतान में लगातार दो चूक होने के मामले में केंद्रीय सरकार, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही शुरू कर सकती है।”

8. उक्त नियम में नियम 26-

(i) में उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात:-

“(1) नियम 16, 17, 21, 22, 22क, 23, 24 और 25 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार पुनर्स्थापन और अन्य संगत घटक के लिए समिति द्वारा संस्तुत पुनर्स्थापन स्कीम को ध्यान में रखकर संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के ऋण, ब्याज अथवा इसमें चूक होने के कारण अतिरिक्त ब्याज की पुनर्संरचना कर सकती है:-

परन्तु ऐसी पुनर्संरचना करते समय उक्त संगत समय पर बकाया मूलधन अथवा लागू दर पर साधारण ब्याज के किसी भी हिस्से को माफ नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार अपने विवेकानुसार कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए पूर्ण अतिरिक्त ब्याज अथवा इसके भाग को माफ कर सकती है।”

(ii) उप-नियम (2) में, प्रथम और दूसरे परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात:-

परन्तु सरकार द्वारा यथा निर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार चीनी उपक्रमों के लिए पुनर्स्थापन हेतु स्कीम में पुनर्स्थापन समिति द्वारा पुनर्संरचना की संस्तुति की गई हो :

परन्तु यह भी कि चीनी उपक्रम ऐसी अवधि के दौरान जब तक ऐसे पुनर्संरचित ऋण की पूर्ण अदायगी होती है, तब तक वह ऋण के लिए तभी पात्र होगा यदि यह नियम 21 के अधीन पुनर्स्थापन स्कीम का ही हिस्सा हो:

(iii) उप-नियम (3) में प्ररूप संख्या XI के लिए निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा अर्थात:-

**प्ररूप संख्या XI**

(नियम 26 देखें)

**चीनी विकास निधि से लिए गए ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन**

| क्र. सं.                      | विवरण  | सूचना   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                            | चीनी कारखाने का नाम और पता   |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                            | संयंत्र कोड  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                            | चीनी उपक्रम का नाम   |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                            | रजिष्ट्रीकृत कार्यालय  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                            | चीनी उपक्रम का संघटन   | क. सहकारी समिति<br>ख. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी<br>ग. सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी<br>घ. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                            | निगमित करने की तारीख   |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                            | अध्यक्ष और निदेशक मंडल   |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                            | लिया गया चीनी विकास निधि ऋण  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>संयंत्र कोड</th> <th>स्कीम</th> <th>वर्ष</th> <th>कुल ऋण (₹)</th> <th>शेष राशि (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं.                      | संयंत्र कोड                 | स्कीम        | वर्ष                        | कुल ऋण (₹)         | शेष राशि (₹) |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| क्र.सं.                       | संयंत्र कोड  | स्कीम   | वर्ष                         | कुल ऋण (₹)                  | शेष राशि (₹) |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.                            | आवेदित अधिस्थगन अवधि (24 माह से अधिक न हो)   |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.                           | चीनी कारखाने का विवरण  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>मद</th> <th colspan="3">पिछले 3 वर्षों के लिए आंकड़े</th> <th colspan="3">अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान</th> <th>अनुमान हेतु औचित्य</th> </tr> <tr> <td></td> <td>20__</td> <td>20__</td> <td>20__</td> <td>20__</td> <td>20__</td> <td>20__</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लाइसेंसशुदा पेराई क्षमता</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>स्थापित पेराई क्षमता (टीसीडी)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>गन्ने के अधीन क्षेत्र (एकड़)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>औसत उपज (टन/एकड़)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>गन्ने का कुल उत्पादन</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मौसम की सकल अवधि (दिवस)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मौसम की निवल</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | मद  | पिछले 3 वर्षों के लिए आंकड़े |                             |              | अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान |                    |              | अनुमान हेतु औचित्य |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |  | लाइसेंसशुदा पेराई क्षमता |  |  |  |  |  |  |  | स्थापित पेराई क्षमता (टीसीडी) |  |  |  |  |  |  |  | गन्ने के अधीन क्षेत्र (एकड़) |  |  |  |  |  |  |  | औसत उपज (टन/एकड़) |  |  |  |  |  |  |  | गन्ने का कुल उत्पादन |  |  |  |  |  |  |  | मौसम की सकल अवधि (दिवस) |  |  |  |  |  |  |  | मौसम की निवल |  |  |  |  |  |  |  |  |
| मद                            | पिछले 3 वर्षों के लिए आंकड़े   |   |                              | अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान |              |                             | अनुमान हेतु औचित्य |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 20__   | 20__  | 20__                         | 20__                        | 20__         | 20__                        |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| लाइसेंसशुदा पेराई क्षमता      |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| स्थापित पेराई क्षमता (टीसीडी) |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| गन्ने के अधीन क्षेत्र (एकड़)  |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| औसत उपज (टन/एकड़)             |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| गन्ने का कुल उत्पादन          |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| मौसम की सकल अवधि (दिवस)       |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| मौसम की निवल                  |  |   |                              |                             |              |                             |                    |              |                    |  |      |      |      |      |      |      |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   | अवधि (दिवस)  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------|------|-----------------------------|------|------|--------------------|--|----|------------------------------|------|------|-----------------------------|--|--|--------------------|--|------|-------------------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|--|--|--|-------|--|--|--|--------------|------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | कुल पेराई किया गया गन्ना (लाख टन)  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | औसत चीनी रिकवरी %  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | कुल उत्पादित चीनी (क्विंटल)  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.   | <b>चीनी कारखाने के वित्तीय परिणाम</b>  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>मद</th> <th colspan="3">पिछले 3 वर्षों के लिए आंकड़े</th> <th colspan="3">अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान</th> <th>अनुमान हेतु औचित्य</th> </tr> <tr> <td></td> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>निवल विक्री</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>सकल लाभ/हानि</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>निम्न पर ब्याज:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(क) सावधि ऋण</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ख) कार्यशील पूंजी</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ग) कुल</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मूल्य ह्रास</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रचालन लाभ/हानि</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कर</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>निवल लाभ/हानि</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>नकद प्राप्ति</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (प्रति क्विंटल)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अदा किया गया वास्तविक गन्ना मूल्य (प्रति क्विंटल)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>गन्ना मूल्य बकाया (रुपये)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |      |      |                             |      |      |                    |  | मद | पिछले 3 वर्षों के लिए आंकड़े |      |      | अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान |  |  | अनुमान हेतु औचित्य |  | 20__ | 20__              | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |                               | निवल विक्री |  |  |  |       |  |  |  | सकल लाभ/हानि |                        |  |  |  |  |                 |  | निम्न पर ब्याज: |  |  |  |  |  |  |  | (क) सावधि ऋण |  |  |  |  |  |  |  | (ख) कार्यशील पूंजी |  |  |  |  |  |  |  | (ग) कुल |  |  |  |  |  |  |  | मूल्य ह्रास |  |  |  |  |  |  |  | प्रचालन लाभ/हानि |  |  |  |  |  |  |  | कर |  |  |  |  |  |  |  | निवल लाभ/हानि |  |  |  |  |  |  |  | नकद प्राप्ति |  |  |  |  |  |  |  | भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (प्रति क्विंटल) |  |  |  |  |  |  |  | अदा किया गया वास्तविक गन्ना मूल्य (प्रति क्विंटल) |  |  |  |  |  |  |  | गन्ना मूल्य बकाया (रुपये) |  |  |  |  |  |  |  |
| मद  | पिछले 3 वर्षों के लिए आंकड़े   |      |      | अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान |      |      | अनुमान हेतु औचित्य |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 20__   | 20__ | 20__ | 20__                        | 20__ | 20__ |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| निवल विक्री   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| सकल लाभ/हानि  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| निम्न पर ब्याज:   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| (क) सावधि ऋण  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| (ख) कार्यशील पूंजी  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| (ग) कुल   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| मूल्य ह्रास   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रचालन लाभ/हानि  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| कर  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| निवल लाभ/हानि   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| नकद प्राप्ति  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (प्रति क्विंटल) |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| अदा किया गया वास्तविक गन्ना मूल्य (प्रति क्विंटल)                 |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| गन्ना मूल्य बकाया (रुपये)   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.   | <b>चीनी कारखाने की वित्तीय स्थिति (संलग्न लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार पिछले 3 वर्षों हेतु)</b>  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>अभ्युक्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रगति में कार्य सहित सकल निर्धारित परिसम्पत्तियां</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मूल्य ह्रास घटाएं</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>निवल निर्धारित परिसम्पत्तियां</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>निवेश</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>वर्तमान परिसम्पत्तियां</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>वर्तमान देयताएं</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |      |      |                             |      |      |                    |  |    | 20__                         | 20__ | 20__ | अभ्युक्ति                   | प्रगति में कार्य सहित सकल निर्धारित परिसम्पत्तियां |  |                    |  |      | मूल्य ह्रास घटाएं |      |      |      |      | निवल निर्धारित परिसम्पत्तियां |             |  |  |  | निवेश |  |  |  |              | वर्तमान परिसम्पत्तियां |  |  |  |  | वर्तमान देयताएं |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 20__   | 20__ | 20__ | अभ्युक्ति                   |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रगति में कार्य सहित सकल निर्धारित परिसम्पत्तियां                |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| मूल्य ह्रास घटाएं   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| निवल निर्धारित परिसम्पत्तियां                                     |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| निवेश   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| वर्तमान परिसम्पत्तियां  |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| वर्तमान देयताएं   |  |      |      |                             |      |      |                    |  |    |                              |      |      |                             |  |  |                    |  |      |                   |      |      |      |      |                               |             |  |  |  |       |  |  |  |              |                        |  |  |  |  |                 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
|     | निवल कार्यशील पूंजी  |  |  |  |  |
|     | निवल वास्तविक परिसम्पत्तियां   |  |  |  |  |
|     | दीर्घावधि देयताएं  |  |  |  |  |
|     | शेयरधारकों की मालियत   |  |  |  |  |
|     | शेयर निलम्बन और अप्रतिदेय जमा सहित शेयर पूंजी  |  |  |  |  |
|     | रिजर्व और अधिशेष   |  |  |  |  |
|     | लाभ और हानि खाते तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों में कमी   |  |  |  |  |
|     | शुद्ध मालियत   |  |  |  |  |
| 13. | चीनी कारखाने के लिए सीए प्रमाणित एफएसीआर गणना प्रपत्र<br>क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय<br>ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय   |  |  |  |  |
| 14. | चीनी उपक्रम के लिए सीए प्रमाणित एफएसीआर गणना प्रपत्र<br>क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय<br>ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय  |  |  |  |  |
| 15. | चीनी कारखाने का ऋण प्रदाय कवरेज अनुपात<br>क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय<br>ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय  |  |  |  |  |
| 16. | चीनी उपक्रम का ऋण प्रदाय कवरेज अनुपात<br>क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय<br>ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय   |  |  |  |  |
| 17. | केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक और अन्य बैंकों से राहत या रियायत या चीनी उपक्रमों के कर्मचारियों और अन्य एजेंसियों, यदि कोई हो, से प्राप्त दान का ब्यौरा |  |  |  |  |
| 18. | क्या संबंधित एजेंसियां चीनी उपक्रमों को ये राहत/रियायत प्रदान करने के लिए सहमत हुई हैं? यदि हां तो संबंधित एजेंसियों से सहमति पत्रों की प्रतियां इस आवेदन प्रपत्र के साथ प्रदान की जाएं        |  |  |  |  |
| 19. | स्कीम के क्रियान्वयन की समय अनुसूची:   |  |  |  |  |
| 20. | स्कीम के क्रियान्वयन पर 10 वर्ष के लिए अनुमानित लाभ/नकद प्रवाह विवरण का सारांश और महत्वपूर्ण अवधारणाएं   |  |  |  |  |

\* सभी राशियां लाख रुपये में हैं।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

चीनी यूनिट अथवा कारखाने का नाम और पता

स्थान:

तारीख:

(iv) उप-नियम (4) में निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

“(4) समिति का सदस्य-सचिव पुनर्स्थापन समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के उपरांत इन्हें अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ समिति के विचारार्थ उक्त समिति के समक्ष रखेगा”;

(v) उप-नियम (6) में, खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) पुनर्स्थापन समिति की सिफारिशों के संबंध में किसी पहलू की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए उप समिति अथवा विशेषज्ञ की नियुक्ति करना”।

[फा. सं. 1-4/2020-एसडीएफ]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (शर्करा और प्रशासन)

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 27 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा इनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे:-

- (i) सा.का.नि. 817 (अ), तारीख 20 दिसम्बर, 1984;
- (ii) सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985;
- (iii) सा.का.नि. 551 (अ), तारीख 6 मई, 1988;
- (iv) सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991;
- (v) सा.का.नि. 441 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992;
- (vi) सा.का.नि. 435 (अ), तारीख 6 मई, 1994;
- (vii) सा.का.नि. 27 (अ) तारीख 12 जनवरी, 1996;
- (viii) सा.का.नि. 656 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 1997;
- (ix) सा.का.नि. 91 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2001;
- (x) सा.का.नि. 886 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2001;
- (xi) सा.का.नि. 442 (अ), तारीख 21 जून, 2002;
- (xii) सा.का.नि. 443 (अ), तारीख 21 जून, 2002;
- (xiii) सा.का.नि. 584 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2002;
- (xiv) सा.का.नि. 67 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2003;
- (xv) सा.का.नि. 241 (अ), तारीख 25 मार्च, 2003;
- (xvi) सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003;
- (xvii) सा.का.नि. 895 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 2003;
- (xviii) सा.का.नि. 953 (अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2003;
- (xix) सा.का.नि. 72 (अ), तारीख 23 जनवरी, 2004;
- (xx) सा.का.नि. 687 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2004;
- (xxi) सा.का.नि. 739 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2004;
- (xxii) सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 2 मार्च, 2005;
- (xxiii) सा.का.नि. 451 (अ), तारीख 4 जुलाई, 2005;

- (xxiv) सा.का.नि. 558 (अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006;  
 (xxv) सा.का.नि. 188 (अ), तारीख 9 मार्च, 2007;  
 (xxvi) सा.का.नि. 697 (अ), तारीख 7 नवम्बर, 2007;  
 (xxvii) सा.का.नि. 699 (अ), तारीख 8 नवम्बर, 2007;  
 (xxviii) सा.का.नि. 738 (अ), तारीख 29 नवम्बर, 2007;  
 (xxix) सा.का.नि. 749 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007;  
 (xxx) सा.का.नि. 115 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2008;  
 (xxxi) सा.का.नि. 279 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2008;  
 (xxxii) सा.का.नि. 388 (अ); तारीख 19 मई, 2008;  
 (xxxiii) सा.का.नि. 508 (अ), तारीख 7 जुलाई, 2009;  
 (xxxiv) सा.का.नि. 599 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2012;  
 (xxxv) सा.का.नि. 210 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013;  
 (xxxvi) सा.का.नि. 847 (अ), तारीख 9 नवम्बर 2015;  
 (xxxvii) सा.का.नि. 23 (अ), तारीख 13 जनवरी, 2016;  
 (xxxviii) सा.का.नि. 885 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2018;  
 (xxxix) सा.का.नि. 496 (अ), तारीख 07 अगस्त, 2020;  
 (xxxx) सा.का.नि. 564 (अ), तारीख 16 सितम्बर, 2020.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Food and Public Distribution)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2021

**G.S.R. 210(E).**—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2021.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (herein after referred to as the said rules), in rule 2,—
  - (i) in clause (ff), for the word “co-operative”, the words “private or public or co-operative shall be substituted;
  - (ii) for clause (jj), the following clause be substituted, namely:—  
 ‘(jj) “potentially viable sick sugar undertaking” means a sugar undertaking being in the private or public or co-operative sector in respect of which a scheme of rehabilitation has been recommended by the Committee for rehabilitation’.
3. In the said rules, in rule 21-(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted:

“(1) A potentially viable sick sugar undertaking shall be eligible for a loan for the modernization or rehabilitation of plant and machinery or for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses or sugarcane juice or for bagasse-based co-generation power project:

Provided that the loan from the Fund has been recommended in the rehabilitation scheme for the potentially viable sick sugar undertaking by the Committee for rehabilitation:

Provided further that the scheme or project for such modernization or rehabilitation of its plant and machinery or for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses or sugarcane juice or for bagasse-based co-generation power project is approved for financial assistance by a financial institution or a scheduled bank under its relevant scheme:

Provided also that a sugar undertaking shall not be eligible for a loan under this rule if more than one loan under rule 16 or rule 22 or rule 23 remains to be fully repaid.”;

(ii) in sub-rule(2), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a loan from the Fund has been recommended in the rehabilitation scheme for the potentially viable sick sugar undertaking by the Committee for rehabilitation”.

4. In the said rules, in rule 22, in sub-rule (1A), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) State Government guarantee or such other security, as may be decided by the Committee, is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for the Sugar Development Fund loan”.

5. In the said rules, in rule 22A, in sub-rule (1A), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) State Government guarantee or such other security, as may be decided by the Committee, is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for the Sugar Development Fund loan”.

6. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1A), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) State Government guarantee or such other security, as may be decided by the Committee, is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for the Sugar Development Fund loan”.

7. In the said rules, in rule 25, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:

“(7) In case of two consecutive defaults in repayment of the Sugar Development Fund loan or installment thereof, the Central Government may initiate proceedings under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016”.

8. In the said rules, in rule 26-

(i) for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Notwithstanding anything contained in rules 16, 17, 21, 22, 22A, 23, 24 and 25, the Central Government may, after taking into consideration the scheme of rehabilitation recommended by the Committee for rehabilitation and any other relevant factor, restructure the loan, interest or additional interest on account of default thereof of a potentially viable sick sugar undertaking:-

Provided that while so restructuring, no portion of the outstanding principal or simple interest at applicable rates at the relevant time shall be waived off:

Provided further that the Central Government may, at its discretion, waive additional interest in full or in part, for reasons to be recorded in writing”;

(ii) in sub-rule (2), for first and second provisos, the following provisos shall be substituted, namely:-

Provided that the restructuring has been recommended by the Committee for rehabilitation in the scheme for rehabilitation for sugar undertakings in accordance with the guidelines as may be decided by the Government:



Provided further that the sugar undertaking shall, during such period till such restructured loans are fully repaid, be eligible for loans only if it is a part of the rehabilitation scheme under rule 21;

(iii) in sub-rule (3), for Form No.XI, the following Form shall be substituted, namely:-

**Form No. XI**  
(See rule 26)

**Application for restructuring of loan taken from the Sugar Development Fund**

| Sl. No. | Particulars   | Information  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|---------|---|--|------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.      | Name and Address of the Sugar Factory                           |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 2.      | Plant Code  |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 3.      | Name of the Sugar Undertaking                                   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 4.      | Registered Office   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 5.      | Constitution of the Sugar Undertaking                           | a. Co-operative Society<br>b. Private Limited Company<br>c. Public Limited Company<br>d. Public Sector Company |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 6.      | Date of incorporation   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 7.      | Chairperson and Board of Directors                              |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 8.      | SDF Loans availed   | Sl. No.  | Plant Code | Scheme | Year                            | Total Loan<br>(₹) | Balance<br>Amount (₹) |                                     |
| 9.      | Duration of Moratorium applied for<br>(not more than 24 months) |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 10.     | <b>Particulars of the Sugar Factory:</b>                        |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Item  | Data for previous three years  |            |        | Projection for next three years |                   |                       | Justification for<br>the Projection |
|         |   | 20__   | 20__       | 20__   | 20__                            | 20__              | 20__                  |                                     |
|         | Licensed Crushing Capacity                                      |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Installed crushing capacity (TCD)                               |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Area under sugarcane (acres)                                    |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Average yield (tonnes/acre)                                     |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Total production of sugarcane                                   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Gross duration of the season (days)                             |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Net duration of the season (days)                               |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Total cane crushed (lakh tones)                                 |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Average sugar recovery %  |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Total sugar produced (quintals)                                 |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
| 11.     | <b>Financial Results of the Sugar Factory</b>                   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Item  | Data for previous three years  |            |        | Projection for next three years |                   |                       | Justification for<br>the Projection |
|         |   | 20__   | 20__       | 20__   | 20__                            | 20__              | 20__                  |                                     |
|         | Net sales   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Gross Profit/loss   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | Interest on:  |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |
|         | (a) Term loan   |  |            |        |                                 |                   |                       |                                     |

|     |   |  |  |      |      |      |         |  |
|-----|---|--|--|------|------|------|---------|--|
|     | (b) Working Capital   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | (c) Total   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Depreciation  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Operation Profit/loss   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Tax   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Net Profit/loss   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Cash accruals   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | FRP fixed by the Govt. of India (per quintal)   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Actual cane price paid (per quintal)  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Cane Price Arrears (₹)  |  |  |      |      |      |         |  |
| 12. | <b>Financial Position of the Sugar Factory (for last three years as per Audited Financial Statements enclosed)</b>  |  |  |      |      |      |         |  |
|     |   |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | Remarks |  |
|     | Gross fixed assets including work-in-progress   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Less Depreciation   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Net fixed assets  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Investments   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Current Assets  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Current Liabilities   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Net Working Capital   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Net tangible assets   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Long-term liabilities   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Shareholder's Worth   |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Share capital including share suspense and non-refundable deposits  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Reserves and surplus  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Deficit in profit and loss account and Intangible assets  |  |  |      |      |      |         |  |
|     | Net worth   |  |  |      |      |      |         |  |
| 13. | CA certified FACR calculation sheet for Sugar Factory<br>a. At the time of applying for restructuring loan<br>b. At the time of applying for initial loan   |  |  |      |      |      |         |  |
| 14. | CA certified FACR calculation sheet for Sugar Undertaking:<br>a. At the time of applying for restructuring loan<br>b. At the time of applying for initial loan  |  |  |      |      |      |         |  |
| 15. | Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of Sugar Factory<br>a. At the time of applying for restructuring loan<br>b. At the time of applying for initial loan   |  |  |      |      |      |         |  |
| 16. | Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of Sugar Undertaking<br>a. At the time of applying for restructuring loan<br>b. At the time of applying for initial loan   |  |  |      |      |      |         |  |
| 17. | Details of the reliefs or concessions from the Central Government or State Government or Financial Institutions or Scheduled Bank and other Banks or donations from the employees of the sugar undertaking and other agencies, if any |  |  |      |      |      |         |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 18. | Whether the concerned agencies have agreed to provide these reliefs/concessions to the sugar undertakings? If so copies of the consent letters from the concerned agencies are to be provided alongwith this application form. |  |
| 19. | Schedule of Implementation of the scheme:  |  |
| 20. | Summary of the projected profitability/cash flow statements for 10 years on implementation of the scheme along with critical assumptions.  |  |

\* all amounts are in lakh of Rupees.

Signed by:

Name:

Designation:

Name and address of the sugar unit or factory

Place:

Date:

(iv) in sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) The Member-Secretary of the Committee shall soon after receipt of the recommendations of Committee for rehabilitation, place the same before the said Committee along with his comments if any, for the Committee's consideration”;

(v) in sub-rule (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) appoint a sub-committee or expert to make an investigation and report on any aspect relating to the recommendations of the Committee for rehabilitation”.

[F. No. 1-4/2020-SDF]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Sugar and Admn.)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 752(E) dated the 27<sup>th</sup> September, 1983 and subsequently amended *vide*-

- (i) G.S.R.817(E), dated the 20<sup>th</sup> December, 1984;
- (ii) G.S.R.838(E), dated the 14<sup>th</sup> November, 1985;
- (iii) G.S.R.551(E), dated the 6<sup>th</sup> May, 1988;
- (iv) G.S.R.235(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 1991;
- (v) G.S.R.441(E), dated the 28<sup>th</sup> April, 1992;
- (vi) G.S.R.435(E), dated the 6<sup>th</sup> May, 1994;
- (vii) G.S.R.27(E) dated the 12<sup>th</sup> January, 1996;
- (viii) G.S.R.656(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1997;
- (ix) G.S.R.91(E), dated the 12<sup>th</sup> February, 2001;
- (x) G.S.R.886(E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2001;
- (xi) G.S.R.442(E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2002;
- (xii) G.S.R.443(E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2002
- (xiii) G.S.R.584(E), dated the 19<sup>th</sup> August, 2002;
- (xiv) G.S.R.67(E), dated the 29<sup>th</sup> January, 2003;
- (xv) G.S.R.241(E), dated the 25<sup>th</sup> March, 2003;
- (xvi) G.S.R.787(E), dated the 6<sup>th</sup> October, 2003;

- (xvii) G.S.R.895(E), dated the 19<sup>th</sup> November, 2003;
- (xviii) G.S.R.953(E), dated the 17<sup>th</sup> December, 2003;
- (xix) G.S.R.72(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004;
- (xx) G.S.R.687(E), dated the 21<sup>st</sup> October, 2004;
- (xxi) G.S.R.739(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2004;
- (xxii) G.S.R.149(E), dated the 2<sup>nd</sup> March, 2005;
- (xxiii) G.S.R.451(E), dated the 4<sup>th</sup> July, 2005;
- (xxiv) G.S.R.558(E), dated the 15<sup>th</sup> September, 2006;
- (xxv) G.S.R.188(E), dated the 9<sup>th</sup> March, 2007;
- (xxvi) G.S.R. 697(E), dated the 7<sup>th</sup> November, 2007;
- (xxvii) G.S.R.699(E), dated the 8<sup>th</sup> November, 2007;
- (xxviii) G.S.R.738(E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2007;
- (xxix) G.S.R.749(E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2007;
- (xxx) G.S.R. 115(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2008;
- (xxxi) G.S.R. 279(E), dated the 10<sup>th</sup> April, 2008;
- (xxxii) G.S.R. 388(E); dated the 19<sup>th</sup> May, 2008;
- (xxxiii) G.S.R. 508(E), dated the 7<sup>th</sup> July, 2009;
- (xxxiv) G.S.R.599(E) dated the 30<sup>th</sup> July, 2012;
- (xxxv) G.S.R.210(E) dated the 8<sup>th</sup> April, 2013;
- (xxxvi) G.S.R.847(E) dated 9<sup>th</sup> November 2015;
- (xxxvii) G.S.R.23(E) dated 13<sup>th</sup> January, 2016;
- (xxxviii) G.S.R.885(E) dated 17<sup>th</sup> September, 2018;
- (xxxix) G.S.R. 496 (E), dated the 07th August, 2020.
- (xxxx) G.S.R. 564 (E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2020.